रामदेव बनाम बद्री

प्रार्थना पत्र संख्या : 2018/00501

28.09.2020	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र रिसीवर नियुक्त करने बाबत् पेश किया है । प्रार्थी के द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा उनका है और रेस्पोडेन्टगण जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं । अतः तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया जावे । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत मूल दावे में पारित निर्णय के खिलाफ अपील पेश की गई है उसको आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय में रिमाण्ड किया गया है । ऐसी स्थिति में रिसीवर का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में Infructuous हो चुका है । प्रार्थी परीक्षण न्यायालय के समक्ष रिसीवर का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । अतः रिसीवर का प्रार्थना पत्र Infructuous होने से खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 28.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया 28/9/2020 (भागवंती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा